न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 82/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
श्री भवानी सिंह पुत्र वनेसिंह दहिया जाति राजपुत नि. आकूना तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1. स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित–

1. प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता
2. स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

–:निर्णयः– दिनांक 21.12.2020

प्रार्थी श्री भवानीसिंह पुत्र वनेसिंहजी दहिया जाति राजपुत निवासी आकुना तहसील वन जिला सिरोही ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के मौजा आकूना पटवार हल्का मडीया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तंवरी तहसील व जिला सिरोही में कृषि भूमि स्थित है खसरा संख्या 194, 405, 423, 489, 490, 491, 494, 505, 506, 518, 730, 754, 757, 758, 763, 764, 767 कुल किता 17 कुल रकबा 51.41 हैक्टयर है। उक्त राजस्व के जमाबंदी संवत 2070–73 में चमनसिंह पुत्र मुकसिंह हिस्सा 1/3 हक सिंह, वचनसिंह, भवसिंह, पि. वना हिस्सा 1/3 सालसिंह, रणसिंह, माधुसिंह पि. धना एव एवन कुंवर पत्नि धना रामसिंह, धुक सिंह पिसरान हेम सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार दर्ज उसमें प्रार्थी की कृषि भूमि 1/9 हक हिस्सा है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय वनेसिंहजी के देहावसान के पश्चात पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय बिना कोई विधि सवत् जॉच किये या दस्तावेज लिये गलत रूप से नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र वनेसिंह की जगह भवसिंह पि. वना दर्ज कर दिया तथा उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में आज तक चल रहा है। प्रार्थी का निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रार्थी का गैस की डायरी बेक खाता तथा अन्य सभी दसतावेज बने हुये है। इन सभी दस्तावेज तथा बैक खातों में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र वनेसिंह दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम भवानीसिंह की जगह भवसिंह व पिता का नाम वनेसिंह की जगह वना दर्ज कर दिया है उक्त त्रुटि राजस्व रेकर्ड का संधारण करते समय हुई है जिससे प्रार्थी को काफी विवादो से गुजरना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मिलने वाली सुविधाओ से भी वंचित होना पड़ रहा है जिससे उक्त दुरूस्ती को न्यायहीत में संशोधन किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा उक्त दुरूस्ती करने से अन्य किसी भी सहखातेदार या पक्षकार के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है तथा उक्त दुरूस्ती करने का श्रीमान को कानूनन क्षेत्राधिकार है। प्रार्थी ने उक्त नाम दुरूस्त कर सही नाम अंकित करने हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिरोही को प्रस्तुत किया था लेकिन उन्होने आज तक उक्त नाम को संशोधित नहीं किया है उक्त त्रुटि रेकर्ड का संधारण करते समय हुई है जिसे दुरूस्त करने का श्रीमान को अधिकार है अगर उक्त त्रटि को दुरूस्त नही किया गया तो प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पड़ेगा तथा उसके हितों पर विपरित असर पड़ेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र, राशन कार्ड की प्रति, गैस डायरी की प्रति आदि का अवलोकन कर राजस्व प्रार्थना पत्र में अकित बिन्दुओं से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने पर दिनांक 26.07.2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिए पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 16.12.2020 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 18.12.2020 को शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जवाब में कथन किया है कि ग्राम आकुना की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 46 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विवरण बदला है परन्तु उक्त आराजी का विवरण न्याय आपके द्वार अभियान 2078 में आपसी सहमति बंटवाड़ के द्वारा परिवर्तित हुआ है तथा ग्राम आकूना के ख.न. 405, 423, 767, 829/489, 833/490 व 840/506 कुल किता 6 कुल रकबा 7.7300 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी का 1/9 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी आपसी सहमति बंटवाड़ के द्वारा दो खातों में विभक्त हो चुकी है जिनके खाता संख्या 46 व 223 है उक्त दोनो खातों में प्रार्थी का नाम भवसिंह पुत्र वना राजपूत दर्ज है। ग्राम आकूना की नवीन सेग्रिगेटेड जमाबंदी में प्रार्थी के 2 खाते है जिसमें खाता सं. 46 में 1/9 तथा खाता सं. 223 में 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी का नामान्तरकरण हेतु आवदेन करते समय प्रार्थी खातेदार का भी दायित्व है कि वे अपने पहचान के समस्त दस्तावेज पटवारी को उपलब्ध करवाये जिससे उनका सही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो सके इसके लिये खातेदार भी उतरदायी है। प्रार्थी का दस्तावेजों में सही नाम भवानीसिंह पुत्र वनेसिंह राजपूत दर्ज है। और प्रार्थी के द्वारा नामान्तरकरण करते समय दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के कारण गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी का नाम आकूना की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता सं. 46 व 223 में भवसिंह पुत्र वना की जगह भवानीसिंह पुत्र वनेसिंह राजपूत किया जाना उचित है। आज दिनांक 18.12.2020 को जवाब स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही शामिल पत्रावली किये जाने पर उभयपक्षकारान द्वारा बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों मय स्टेट के जवाब का अवलोकन व अंतिम बहस पर मनन किया जिससे प्रथमदृष्टया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार उचित पाये गये है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम भवसिंह पि. वना के स्थान पर सही नाम भवानीसिंह पुत्र वनेसिंह राजपूत दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है जो स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार सही किया जाना उचित होना जाहिर किया जाने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के नाम ग्राम आकूना तहसील व जिला सिरोही के राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 46 व 223 में दर्ज आराजी में भवसिंह पुत्र वना के स्थान पर सही नाम भवानीसिंह पुत्र वनेसिंह जाति राजपूत का अंकन कर दुरूस्ती की पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हँसमुख कुमार)
लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)